

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

124

प्रेषक,

मो० सलीम,
श्रम आयुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी

सासाराम(रोहतास)/सारण(छपरा)/सीवान/औरंगाबाद/गया/नवादा/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/
शिवहर/प० चंपारण(बेतिया)/वैशाली(हाजीपुर)/दरभंगा//समस्तीपुर/अररिया/कटिहार/
किशनगंज/पूर्णियाँ/लखीसराय/मुंगेर/शेखपुरा ।

पटना, दिनांक :-

21.3.16

विषय:-

आय-व्ययक शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण- मांग
संख्या-26उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-P-2230011030103)
के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1455 दिनांक 18.05.15 के आलोक
में चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में 31 मार्च, 2016 तक व्यय हेतु आपकी अध्यक्षता में गठित " बाल श्रमिक
पुनर्वास-सह-कल्याण कोष" में जमा करने हेतु रू० 5000/- (रूपये पाँच हजार) मात्र प्रति बाल श्रमिक की दर
से निधि का आवंटन निम्न प्रकार से किया जाता है:-

क्र०सं०	प्राथमिक इकाईयाँ	जिला का नाम	बाल श्रमिकों की संख्या	आवंटित राशि	पत्रांक/ज्ञापांक /दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	28-01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ	सासाराम(रोहतास)	10	50000	--/14.03.16
2	तदेव	सारण(छपरा)	29	145000	131/22.02.16
3	तदेव	सीवान	11	55000	101/23.02.16
4	तदेव	औरंगाबाद	18	90000	215/10.03.16
5	तदेव	गया	26	130000	316/09.03.16
6	तदेव	नवादा	13	65000	167/15.03.16
7	तदेव	मुजफ्फरपुर	30	150000	589/15.03.16
8	तदेव	सीतामढ़ी	28	140000	--/10.03.16
9	तदेव	शिवहर	04	20000	--/10.03.16
10	तदेव	प० चंपारण(बेतिया)	21	105000	71/20.02.16
11	तदेव	वैशाली(हाजीपुर)	54	270000	485/14.03.16
12	तदेव	दरभंगा	19	95000	397/15.03.16
13	तदेव	समस्तीपुर	24	120000	247/23.02.16
14	तदेव	अररिया	16	80000	347/14.03.16
15	तदेव	कटिहार	28	140000	267/15.03.16
16	तदेव	किशनगंज	65	325000	164/15.03.16
17	तदेव	पूर्णियाँ	32	160000	308/14.03.16
18	तदेव	लखीसराय	17	85000	147/14.03.16
19	तदेव	मुंगेर	22	110000	147/14.03.16
20	तदेव	शेखपुरा	09	45000	147/14.03.16

2. वित्त विभाग के पत्रांक-295/वि0 दिनांक-24.3.15, पत्रांक-5294 वि० दिनांक-17.6.2015 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
3. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
4. इसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथा शीघ्र इस विभाग को उपलब्ध करा दी जाय ।
5. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार

18/3/16

ज्ञापक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

124

पटना, दिनांक

21-3-16

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार

18/3/16

ज्ञापक-6/एफ1-306/2015 श्र0सं0-

124

पटना, दिनांक

21-3-16

• स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/
*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित सहायक श्रमायुक्त/ संबंधित श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव, पटना/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा पदाधिकारी-01 श्रम पक्ष को उनके गै०स०प्रे०सं०-103 (श्रम पक्ष), कमरा: दिनांक-16.03.16 के आलोक में /प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा

(मो० सलीम)

श्रम आयुक्त, बिहार

18/3/16